

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांक प0 12(03) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 11/05/22

:: आदेश ::

श्री सुधीर टांक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर से प्राप्त उनके पत्र कमांक एएजी/2022/04 दिनांक 20.04.2022 के कम में श्री सारांश विज, अधिवक्ता (पंजीयन कमांक आर/1134/2016) को दिनांक 13.04.2022 से उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार है:-

1. जूनियर अधिवक्ता को अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटें शिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. जूनियर अधिवक्ता को देय 20 प्रतिशत राशि अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर की अनुशंषा पर संयुक्त रूप से अनुपातानुसार अथवा अनुशंषानुसार जूनियर विशेष को देय होगी।
3. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
4. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी सेवा शर्तों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विद्वान महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. विशेषाधिकारी (जीएसवाई), माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय।
3. श्री सुधीर टांक, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जोधपुर।
4. जूनियर अधिवक्ता।
5. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(अनुपमा राजीव बिजलानी)
शासन सचिव, विधि